राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

एन.एच.एम.भवन लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी भोपाल(462003)

क्रमांक/एन.एच.एम/एच.आर./सेल–1/2021/14077 भोपाल, दिनांक :25/11/2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,मध्यप्रदेश।

विषयः–संविदा आधार पर नियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्टॉफ नर्स को कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में।

सन्दर्भः–1 आदेश पत्र क्र. एनएचएम/एचआर/संनि/सेल–1/776–एचआर दिनांक 06/10/21

2..आदेश पत्र क्र. एनएचएम/एचआर/संनि/सेल–1/800 दिनांक 07/10/2021.

3 परिपत्र कमांक एनएचएम/एचआर/सेल–1/875 दिनांक 08/10/2021.

4 परिपत्र क एनएचएम/एचआर/सेल–1/876 दिनांक 07/10/2021.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र 1 एवं 2 द्वारा संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं संविदा स्टॉफ नर्स के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये है। उपरोक्त आदेश में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में समय सीमा निर्धारित की गई है।

चयनित उम्मीद्वारों के अभिलेखों की पुष्टि की कार्यवाही आपके कार्यालय में की जा रही है। पदस्थापना के संबंध में परिपत्र कमांक 3 एवं 4 में आवश्यक निर्देश भी प्रदान किये गये है।

नियुक्ति आदेश की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व ऐसे चयनित उम्मीद्वार जो कि कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो गये है एवं किन्ही अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट न होने की स्थिति में भी प्राथमिक तौर पर उनकी उपस्थिति प्राप्त की गई है, ऐसे समस्त उम्मीदवारों के अभिलेखों का परीक्षण प्राथमिक रूप से किया जाना है जिसमें कि प्रकाशित विज्ञप्ति के मापदण्ड एवं पुनरीक्षित नियम पुस्तिका में जो प्रावधान है, उसके अनुसार अभिलेखों की पूर्ति कर रहे है, उनकी उपस्थिति नियमानुसार मान्य की जावे एवं इसके उपरान्त भी भ्रम की स्थिति में पृथक से पुनः मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।

संविदा एएनएम एवं संविदा स्टॉफ नर्स की विज्ञप्ति एवं नियम पुस्तिका का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **संविदा एएनएम** विज्ञप्ति कमांक एनएचएम/ एचआर/ संनि/ सेल–1/ 2020 /16448 दिनांक 17/12/2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी:–

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
2	संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)	2551	12,000 रुपये प्रतिमाह	• उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण /हायर सेकेण्डरी, 11वीं कक्षा उत्तीर्ण /हायर सेकेण्डरी (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। • शासकीय/अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों से ए.एन.एम. का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण (न्यूनतम)। • महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) जीवित पंजीयन होना चाहिये।	21–40 वर्ष अधिकतम् आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति , अन्य पिछडा वर्ग (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2021 की स्थिति मे)

1. एएनएम की पुनरीक्षित नियम पुस्तिका में निम्नानुसार प्रावधान है:–
शैक्षिक और अन्य पात्रताएँ :–

2.1 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/ हायर सेकेण्डरी, 11वीं कक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी (१०+२) शिक्षा पद्धति में 12 कक्षा उत्तीर्ण।

2.2 शासकीय/अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों से ए. एन.एम. निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण (न्यूनतम)।

2.3 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंक सूची।
- संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता(एएनएम) हेतु शासकीय/अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रो से एएनएम का निर्धारित अवधि के प्रशिक्षण का उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र।
- महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का वैध पंजीरकरण प्रमाण पत्र। जीवित पंजीयन होना चाहिये। का प्रावधान किया गया है।

2 **संविदा स्टॉफ नर्स** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञप्ति कमांक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञप्ति कमांक एनएचएम/ एचआर/ संनि/ सेल–1/ 2020 /16450 दिनांक 17/12/2020 द्वारा संविदा स्टॉफ नर्स की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	संविदा स्टॉफ नर्स	2664	20,000 रुपये प्रतिमाह	• उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी, 11वीं कक्षा उत्तीर्ण /हायर सेकेण्डरी (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। • मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयो से जी.एन.एम. /बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स उत्तीर्ण। • मध्यप्रदेश नर्सिंग कौसिंल से जीवित पंजीयन होना चाहिये।	21–40 वर्ष अधिकतम् आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2021 की स्थिति में)

संविदा स्टॉफ नर्स की पुनरीक्षित नियम पुस्तिका में निम्नानुसार प्रावधान है:–
शेक्षणिक और अन्य पात्रताऐ:–

2.1 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी ,11वी कक्षा उत्तीर्ण/ हायर सेकेण्डरी (10+2) शिक्षा पद्वति में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण।

2.2 मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय महाविघालयों से जी.एन.एम. /बीएससी नर्सिग कोर्स उत्तीर्ण।

2.3 मध्यप्रदेश नर्सिग काउंसिग से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नही किया जाएगाः–

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- संविदा स्टॉफ नर्स हेतु जीएनएम/बीएससी नर्सिंग कोर्स उत्तीर्ण इनमें से किसी एक का उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण –पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- मध्यप्रदेश नर्सिग कांउसिंल से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।

उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार चयनित उम्मीद्वारों की उपस्थिति मान्य की जावे एवं आवश्यकता होने पर पृथक से मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।

किसी भी चयनित उम्मीदवार की उपस्थिति अमान्य नही की जावे। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

(के.के.रावत)
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/एच.आर./सेल–1/2021/14078 भोपाल, दिनांक 25/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एनएचएम,मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,एन.एच.एम. म.प्र.।
7. संचालक, एनएचएम,मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
9. उप संचालक, मानव संसाधन/लीगल एनएचएम मध्यप्रदेश।
10. उप संचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र वभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, . मध्यप्रदेश।
12. आदेश नस्ती।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश